



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 03.08.2024

थाना मऊदरवाजा क्षेत्रान्तर्गत मोटरसाईकिल छिनैती करके भागने वाले 02 अभियुक्तों को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 149/24 धारा 304 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.राघवेन्द्र उर्फ जोनू यादव पुत्र जदुवीर निवासी मो० दुईया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 2.अभिषेक राजपूत पुत्र विजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 02.08.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों की निशादेही पर उनके कब्जे से वादी मुकदमा से इलाज के नाम पर छीनी गयी मोटरसाईकिल बरामद कर अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. राघवेन्द्र उर्फ जोनू यादव पुत्र जदुवीर निवासी मो0 दुईया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. अभिषेक राजपूत पुत्र विजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जपनद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 23.07.2024 को थाना मऊदरवाजा पर वादी मुकदमा श्री बृजेश कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम जिजईया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 18.07.2024 कायमगंज से अपने क्लीनिक से अपनी मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस से घर गाँव जिजईया वापस जा रहा था कि शाम को गाँव नगला समाधान और चौरसिया मझौला गाँव के बीच पहुंचा तो सड़क पर पैदल चल रहे युवक के दाहिने तरफ मो0सा0 का हैंडल लग गया तो मैंने मो0सा0 रोक कर चोट का हाल चाल लेने लगा लेकिन उक्त अज्ञात लोग अपनी मन मर्जी से काम करने को कहने लगे बोले की मो0सा0 से चलो हम खुद इलाज करवा लेंगे। मैंने कहा कि मैं इलाज करवा दूंगा लेकिन अज्ञात लोगो ने मेरी मो0सा0 की चाबी ले ली और मुझे धक्का दे कर वह लोग मेरी मो0सा0 लेकर भाग गये। मैं काफी दूर तक उनके पीछे गया लेकिन कोई पता नहीं चला। उक्त सूचना पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 149/24 धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात पर्जीकृत किया गया और अज्ञात अभियुक्तों व मो0सा0 की तलाश प्रारम्भ कर दी गयी। पतारसी सुरागरसी के क्रम में दिनांक 02.08.2024 को 1. राघवेन्द्र उर्फ जोनू यादव पुत्र जदुवीर निवासी मो0 दुईया थाना मऊदरवाजा 2. अभिषेक राजपूत पुत्र विजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से वादी मुकदमा से इलाज के नाम पर छिनी गयी मोटरसाइकिल बरामद कर अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण उपरोक्त:-

अभियुक्तगण 1. राघवेन्द्र उर्फ जोनू यादव पुत्र जदुवीर निवासी मो0 दुईया थाना मऊदरवाजा 2. अभिषेक राजपूत पुत्र विजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि दिनांक 18.07.2024 को हम लोग व हमारा एक और साथी कायमगंज बस से आ रहे थे और बस ड्राइवर से कहासुनी होने के बाद चौरसिया मझौला से कायमगंज रेलवे अण्डर पास के पास उतर गये। हम लौग पैदल- पैदल आ रहे थे कि एक मोटर साइकिल चालक द्वारा मुझे पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने पर हम लोगों ने उस मोटर साइकिल सवार व्यक्ति की मोटर साइकिल को रोक लिया और उसकी मोटर साइकिल से चाबी निकाल ली हम लोगों ने उसको बातों में लगा लिया और मेरे दोस्त ने मोटर

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.08.2024 की प्रातः ई-रिक्शा चालक बृजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी पल्ला गल्ला मण्डी कोतवाली फर्रुखाबाद घायल अवस्था में थाना आये और उन्होंने बताया कि दिनांक 01.08.2024 को ईशु उपरोक्त मेरे ई-रिक्शा में हथियापुर तक छोड़ दो कह कर बैठा। मैं जान पहचान होने के नाते उसे अपने रिक्शे में बैठाकर हथियापुर ले जाने लगा। पेट्रोल पम्प के पास रिक्शे को रुकवाकर तीन लोग और बैठ गये। उसके बाद पेट्रोल पम्प के पास ही सड़क किनारे झाड़ियों में रिक्शे को ले जाकर उन चारो लोगो ने मुझसे रिक्शा छीनने का प्रयास किया किन्तु मैंने विरोध किया तो उन लोगो ने वही पर बुरी तरीके से मुझे मारा पीटा और मेरी ई-रिक्शा लेकर चले गये। घटना के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 160/24 धारा-309(6)/115(2)/109 बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कि जा रही है।

पूछताछ का विवरण :-

ईशू पुत्र श्रीकान्त पाण्डेय निवासी मो0 जटवारा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैं बृजेश कुमार के मोहल्ले के पास ही रहता हूँ। मेरे तीन चार और दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर मैं लूट व चोरी के काम करता हूँ। दिनांक 01.08.2024 को मैंने बृजेश से कहा कि मुझे हथियापुर तक छोड़ दो तो बृजेश जान पहचान होने के नाते मुझे अपने रिक्शे में बैठाकर हथियापुर ले जाने लगा। पेट्रोल पम्प के पास हमारी योजना के मुताबिक मेरे तीन दोस्त पहले से ही पेट्रोल पम्प के पास मौजूद थे, रिक्शे को रुकवाकर तीनों लोगो को उसमें बैठाया उसके बाद पेट्रोल पम्प के पास ही सड़क किनारे झाड़ियों में रिक्शे को ले जाकर हम चारो लोगो ने बृजेश से रिक्शा छीनने का प्रयास किया किन्तु बृजेश विरोध करने लगा तो हम लोगो ने उसको वही पर बुरी तरीके से मारा पीटा। चूँकि बृजेश मुझे जानता था, इसलिये हम चारो ने बृजेश की हत्या करने के लिये उसके गले व कलाई को काटने का प्रयास किया तथा गले में रस्सी लपेट कर कस दिया व हाथो को पतली प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया जब हम लोगो को लगा कि बृजेश मर गया हैं, तो उसे वही पर झाड़ियों में घसीट कर डाल दिया व बैट्री रिक्शा लेकर वहा से भाग गये आगे जाकर हम सभी ने रेलवे अण्डर पास से रेलवे लाइन क्रॉस करके बैट्री रिक्शा को झाड़ियों में छिपा दिया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(6)/115(2)/109/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा

बरामदगी विवरण:-

1. 01 अदद ई-रिक्शा (अभियोग में लूटा हुआ)

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. प्र0नि0 श्री अमित गंगवार | 2. अपराध निरी0 श्री गोविन्द हरि वर्मा |
| 3. उ0नि0 श्री तरुण सिंह | 4. हे0का0 सतेन्द्र |
| 5. का0 रवि | 6. हो0गा0 अजब सिंह |

मीडिया सेल फतेहगढ़।

कोतवाली फतेहगढ़

दि०- 03.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मुकेश पुत्र देवीदीन निवासी नगला राजन कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-422/1995 वाद सं०- 4754/1995 धारा- 04/25 A ACT कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 03.08.2024 को मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम० कोर्ट फरूखाबाद द्वारा दोषसिद्ध कर जेल में विताई अवधि व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री जितेन्द्र कुमार



कोर्ट मोहरीर का० मोहित कुमार



पैरोकार हे०का० आदेश कुमार

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 03.08.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चालक को घायल कर ई-रिक्शा लूटने वाले अभियुक्त को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर लूटा गया ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(6)/115(2)/109 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त ईशू पुत्र श्रीकान्त पाण्डे निवासी मो0 जटवारा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर लूटे गये ई-रिक्शा को बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. ईशू पुत्र श्रीकान्त पाण्डे निवासी मो0 जटवारा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद

साईकल पर बैठकर हम लोगो को भी बैठने का इशारा किया फिर हम लोग तुरन्त मोटरसाइकिल पर बैठ कर चौरसिया मझौला की तरफ भाग गये थे। साहब गलती हो गयी माफ कर दो अब हम लोग किसी की मोटरसाइकिल नहीं छिनेंगे।

अभियुक्त राघवेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 149/24 धारा 304 बीएनएस/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 149/24 धारा 304 बीएनएस/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी विवरण:-

1. छीनी गयी मोटर साईकिल हीरो स्पेलेण्टर प्लस रंग लाल काला चेचिस नं MBLHAW119MHG45203 व इंजन नं0 HA11EVMHG30372

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह | 2. आ0 जितेन्द्र |
| 3. आ0 यशवन्त | 4. आ0 सचिन |

मीडिया सेल फतेहगढ़









OPPO F5 Pro 5G
AJAY KADAVU 2023-08-10 19:12